RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 16.2.2019
Page No. 15, Size:(19.58)cms X (8.63)cms.

करदाताओं का पैन से आधार जोड़ना अनिवार्य

■ नई दिल्ली (भाषा)।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जोर देकर कहा है कि जो लोग आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना 'अनिवार्य' है। इस काम को 31 मार्च तक पूरा किया जाना है।

सीबीडीटी ने यहां जारी एक परामर्श पत्र में कहा कि पिछले साल सितम्बर में उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में आधार की संवैधानिक मान्यता को

बरकरार रखा था। इसी क्रम में आयकर कानून-1961 की धारा-139एए के तहत सीबीडीटी द्वारा 30 जून, 2018 को जारी आदेश मान्य हो जाता है। इसके अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को 31 मार्च, 2019 से पहले पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने छह फरवरी को अपने आदेश में पुष्टि की कि आईटीआर दाखिल करने वालों के लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ केंद्र की याचिका पर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दो लोगों को उनका 2018-19 का आयकर रिटर्न पैन से आधार को जोड़े बिना दाखिल करने की अनुमति दे दी थी।

परामर्श

- सीबीडीटी ने इस बारे आयकरदाताओं को किया आगाह
- कहा, 31 मार्च तक पूरा करा लें यह महत्वपूर्ण कार्य
- इसके बिना नहीं भर सकेंगे आईटीआर